भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 30**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**जैव-विविधता संबंधी लक्ष्य**

**30. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2011-2020 हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति प्रदान किए गए जैव-विविधता लक्ष्यों तथा कार्यनीतिक योजना के मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में विकासशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने हेतु विकसित विश्व दोहरे निधीयन के संबंध में दिसम्बर, 2012 के दौरान हैदराबाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता सम्मेलन में हुए करार के संदर्भ में 2015 तक हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में जैव-विविधता को शामिल करने के लिए विकासशील विश्व हेतु पूर्वापेक्षा को पूरा करने के लिए कौन-से उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या संरक्षण से सबंधित कानूनों की समुचित संरचना तथा उनके समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन का कार्य विचाराधीन है, क्योंकि भारत के जैव-विविधता अधिनियम के अनुपालन का हमारा अनुभव बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) और (ख) भारत द्वारा अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में मेज़बानी किए गए जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन (सीबीडी) के संबंध में पक्षकारों के ग्यारहवें सम्मेलन (सीओपी-11) में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2015 तक विकासशील देशों को कुल जैवविविधता-संबंधी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधन प्रवाहों को दोगुना करने और इस स्तर को कम से कम वर्ष 2020 तक बरकरार रखने का संकल्प लिया गया । सीओपी-11 में कम से कम 75 प्रतिशत पक्षकारों द्वारा वर्ष 2015 तक अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अथवा विकास योजनाओं में जैवविविधता को शामिल करने और इसके लिए समुचित घरेलू वित्तीय प्रावधान करने के प्रयत्न करने का संकल्प भी लिया ।

तदनुसार, भारत सरकार ने संस्थागत कार्यतंत्र को सुदृढ़ बनाने, भारत में जैवविविधता संरक्षण के लिए तकनीकी और मानव क्षमताओं का संवर्धन करने तथा अन्य विकासशील देशों में एकसमान क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीओपी के लिए भारत की अध्यक्षता के दौरान 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि अलग से रखने का निर्णय लिया है । जैवविविधता संरक्षण योजना के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहले से अनुमोदित किए गए 299.5 करोड़ रूपए में से 92 करोड़ रूपए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के लिए हैं, 50.00 करोड़ रूपए राज्य जैवविविधता बोर्डों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए हैं, 50 करोड़ रूपए लोक जैवविविधता रजिस्टरों के लिए हैं, 12.50 करोड़ रूपए जैवसुरक्षा के लिए हैं, 45 करोड़ रूपए सीओपी-11 और सीओपी-11 हेतु भारत की अध्यक्षता के लिए हैं तथा 50 करोड़ रूपए दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए हैं ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ''भारत में जैवविविधता संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्थकारी पर्यावरण का सुदृढ़ीकरण'' शीर्षक वाली पूर्ण स्वीकृत परियोजना के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण सुविधा से 242,000 अमरीकी डॉलर भी प्राप्त हुए हैं । इस परियोजना का उद्देश्य, भारत द्वारा सीबीडी की राष्ट्रीय संसूचन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना है जिसमें आइची जैवविविधता लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों का विकास, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना में संशोधन तथा पांचवीं राष्ट्रीय जैवविविधता रिपोर्ट तैयार करना शामिल है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*